


न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा ₹म०प्र०१

R5124-II 116



मजदिकर हुसेन तनय गुलाम अहमद मुसलमान उम्र 45 वर्ष साकिन ताल  
तहसील सरई जिला सिंगरौली ₹म०प्र०१

--निगरानी कर्ता

विरुद्ध



राममुन्दर आरिया पिता गम्भू आरिया उम्र 50 साल पेशा खेती



निवासी ग्राम ताल तहसील सरई जिला सिंगरौली ₹म०प्र०१

--गैरनिगरानी कर्ता



श्री. पुष्पाणिमिह्या एड  
द्वारा आज दिनांक 8-3-16 के  
प्रस्तुत किया गया।

निगरानी विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
सरई जिला सिंगरौली के अपील प्रकरण  
क्रमांक 29/अपील/15-16 मे पारित आदेश  
दिनांक 25.2.2016

R9.401



सिडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अंतर्गत धारा -50 मप्रभूरास. 19

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

§1 § यहकि अधो नस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक  
25.2.2016 विधि तथा प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य  
है ।

§2 § यहकि भूमि खसरा क्रमांक पुराना 351 जूज रक्का 35.00 एकड़  
एव जूज रक्का 5.00 एकड़ से नया निर्मित खसरा क्रमांक 699 रक्का 2.00 हे.,  
704 रक्का 0.55 हे., 705 रक्का 0.86 हे., 768 रक्का 1.39 हे., 770  
रक्का 1.61 हे., 771 रक्का 1.18 हे., 772 रक्का 5.26 हे. मौजा ताल  
तहसील सरई जिला सिंगरौली निगरानी कर्ता की पैत्रिक भूमियां है. उक्त

17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र. नि.5124/II/16

जिला-सिंगरौली

(1)	(2)	(3)
27.10.16	<p>आवेदक आज उपस्थित नहीं उनके द्वारा पूर्व में प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया है। अतएव प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त किया जाता है।</p> <p>प्रकरण दायरा पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार भेजा जाए।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	



24